




NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 54/NCRES/20

Date : 05.03.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज


विषय:- रेलवे कर्मचारियों का कोरोना वायरस से बचाव हेतु।

महोदय,

अवगत कराना है कि आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस का खौफ है और चीन के साथ लगभग 60 देशों में कोरोना वायरस के मरीज हैं। भारत में भी लगभग 28 मरीजों में कोरोना वायरस पाजिटिव पाया गया है। NCRES का कैंडर कोरोना वायरस से बचाव हेतु लगातार कर्मचारियों के बीच प्रचार कर रहा है कि इलाज से ज्यादा जागरूकता एवं सावधानियों की आवश्यकता है।

NCRES का अनुरोध है कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु कुछ निम्न तथ्यों पर विचार कर उचित आदेश जारी किया जाय।

- (1) सभी लाबी पर गार्ड एवं लोको पायलट का एक ही यंत्र पर ब्रीथ एनालाइजर करते हैं अतः हर टेस्ट के बाद उसको सैनेटाइज किया जाय।
- (2) बायोमेट्रिक अटेन्डेन्स से रोग के फैलाव की सम्भावना है इसलिये कोरोना वायरस खत्म होने तक बायोमेट्रिक अटेन्डेन्स स्थगित किया जाय।
- (3) भीड़ तथा पब्लिक के सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों जैसे टिकट चेकिंग स्टाफ, रनिंग स्टाफ, वर्कशाप, कैंरेज वैगन स्टाफ आदि को मास्क एवं सैनेटेशन उपलब्ध कराया जाय।
- (4) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के सभी मण्डलीय अस्पतालों, केन्द्रीय अस्पताल, हेल्थ यूनिट में एक आइसोलेशन वार्ड ऐसे मरीजों हेतु तैयार किया जाय एवं डाक्टरों को इसके इलाज हेतु विशेष ट्रेनिंग एवं अपडेट किया जाय।


(आर. पी. सिंह)

महामंत्री